9/12/2022 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी ख.न. 37 रकबा 2.96 है. ग्राम गांवड़ी पूर्व में संयुक्त खातेदारी भूमि थी। सड़क के सहारे अप्रार्थी की भूमि है जिससे प्रार्थी अपनी भूमि में आते जाते है। प्रार्थना पत्र 251 (क) रास्ता हेतु पेश किया है। अप्रार्थी रास्ते में निर्माण कर रास्ते की भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अप्रार्थी अजनबी केता है। जिन्हौने प्रार्थी व उसके भाईयों को मुगालते में रख कर तहसीलदार के समक्ष गलत विभाजन करवाकर सड़क के सहारे की जमीन अपने अकेले के नाम करवाली तथा प्रार्थी के रास्ते को अवरूद्व कर दिया। अतः अन्तरिम टी.आई जारी की जावें।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि मेरे प्रार्थना पत्र पर कोई बहस नही की गई है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्थगन का पेश किया है तथा अनुतोष अस्थाई निषेधाज्ञा का चाहा है। स्थगन प्रार्थना पत्र केवल अपील में लगता है। माननीय न्यायालय के समक्ष कोई अपील विचाराधीन नही है। यदि प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा का भी आवेदन माना जावे तो अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन वाद में ही पेश किया जा सकता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र स्थगन पर कोई धारा अंकित नही कि है कि किस धारा में पेश किया गया है। आर्डर 39 रूल 1 अनुसार वाद में ही टी.आई पेश की जा सकती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थगन विधिक प्रावधानों के विपरित होने से किसी भी प्रकार चलने योग्य नही है। अतः खारीज किया जावें।

रिविटल बहस में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि 151 सीपीसी में माननीय न्यायालय को अन्तर्निहित शक्तिया प्रदान है। मेरे प्रार्थना पत्र को 151 सीपीसी का मानकर अन्तरिम टी.आई जारी की जावें।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गौर किया गया। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र स्थगन, प्रार्थना पत्र 251 (क) रा0का0 अधिनियम के साथ पेश किया है। जहॉ तक स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किये जाने का प्रश्न है हम वकील अप्रार्थी के इस कथन से सहमत है कि स्थगन प्रार्थना पत्र केवल अपील के साथ ही पेश किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा जो स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर भूमि ख.न. 1352/37 रकबा 1.48 है. ग्राम गांवड़ी के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वंत 2075 से 2078 ग्राम गांवड़ी अनुसार उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। अर्थात रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व स्थगन चाहा गया है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थगन विधिक प्रावधानो के विपरित होने से चलने योग्य नही है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

जहां तक धारा 151 सीपीसी में विर्णित प्रावधानो का प्रश्न है। न्यायालय न्याय के सिद्वान्तो की पूर्ति हेतु अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर पक्षकारो को न्याय प्रदान कर सकता है परन्तु इस प्रकरण के तथ्य एवं वर्तमान परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुये धारा 151 के प्रावधान भी लागू नही होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थगन एडमिशन की स्टेज पर ही खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)